फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. विराटनगर बनाम मैसर्स अमरा नोलेज एण्ड शोल्यूशन प्रा॰ लि॰

केस संख्या /2022 (गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01-12-2022	माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 09.11.2022 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.09.2022 को निरस्त कर उभय पक्ष को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात प्रकरण में घटित अपराध में वाहन स्वामी या वाहन चालक की संलिप्तता के संबंध में विस्तृत जांच कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित के निर्देश के साथ पत्रावली प्राप्त होने पर पेश हुई। विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। विभागीय पैरोकार का कथन है कि वाहन संख्या एचआर 55 एएफ 4638 इंजन नम्बर ई 624 सीडीजेएल 252172 पुलिस थाना विराटनगर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2022 दिनांक 03.03.2022 में अवैद्य रूप से 9 बडे सांड, 8 छोटे बछड़े व 5 गाये जिनके पैरों तथा मुंह रस्सी से बंधे हुये मिले है। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर द्वारा उक्त वाहन को जब्त किया गया है, जिससे वाहन की संलिप्ता होने की पुष्टि होती है। इसी आधार पर पूर्व में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 के द्वारा धारा 6(2) के तहत 50,000/– रूपये, अक्षरे पचास हजार रूपये शास्ती अधिरोपित की गई है, वह सही है। अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता का कथन है कि कन्टेनर नम्बर एचआर 55 एएफ 4638 इंजन नम्बर ई 624 सीडीजेएल 252172 पुलिस थाना विराटनगर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2022 दिनांक 03.03.2022 में जब्त उक्त वाहन दिनांक 23.02.2022 को चोरी हो गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2022 पुलिस थाना नगीना जिला नूँह हरियाणा में दिनांक 24.02.2022 को दर्ज करवा दी गई थी। अप्रार्थी का जब्त वाहन चोरी हो चुका था और उसके अपराध में उपयोग भी वाहन के चोरी की स्थिति में रहने के दौरान ही किया गया है। इसलिए उस पर धारा 6(2) राजस्थान गो वंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1955 को अप्रार्थी के विरूद्व अधिरोति करना विधि संगत नहीं है । ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का वाहन बिना किसी शास्ती के रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर जयपुर	

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. विराटनगर बनाम मैसर्स अमरा नोलेज एण्ड शोल्यूशन प्रा. लि

केस संख्या /2022 (गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
01-12-2022	थानाधिकारी पुलिस थाना विराटनगर द्वारा उक्त कन्टेनर को कुल 20 गो वंश के साथ जब्त किया गया । अधिनियम की धारा 6 (क) (1) इस प्रकार है– " Cofiscation of the means of conveyance (1) Where an offence punishable under this Act is committed] any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation." जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावे तो ऐसा अपराध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा। अप्रार्थी वाहन चोरी हो जाने मात्र से अपने दायित्व के मुक्त नहीं हो सकता है। वाहन की उक्त अधिनियम के तहत संलिप्तता पाई गई है। वाहन की संलिप्तता पाये जाने पर ही पूर्व में दिनांक 22.09.2022 को 50,000/–रूपये की शास्ती अधिरोपित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। परिणामतः पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 को यथावत रखा जाता है। आदेश आज दिनांक 02.12.2022 को सरे इजलास सुना गया गया । (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलेक्टर जयपुर